दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

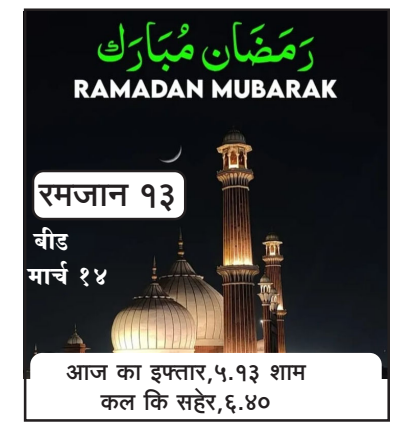

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२२२ वा | रविवार १६ मार्च २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

एआई टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव

बीड जिले कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, शरद पवार का बड़ा बयान।

बारामती, १५ मार्च (प्रतिनिधि) - राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने यह बात बारामती में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कही। शरद पवार ने कहा कि गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने और उसमें चीनी की मात्रा को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने कहा, यदि हम गन्ने की उत्पादकता को बेहतर बनाकर उसमें चीनी की मात्रा बढ़ा सकें, तो इससे गन्ना खेती अधिक लाभदायक और फायदेमंद साबित होगी। यह सब कुछ एआई टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो सकता है।

उन्होंने आगे बताया कि इस टेक्नोलॉजी को लागू करने की कोशिशें लंबे समय से चल रही थीं और अब यह खुशी की बात है कि दक्षिण महाराष्ट्र की कई चीनी मिलें इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। इसी संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब ३०० प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में उन्हें एआई तकनीक से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

मराठवाड़ा और विदर्भ की स्थिति पर जताई चिंता शरद पवार ने अपनी चर्चा के दौरान मराठवाड़ा और विदर्भ के कई जिलों, विशेष रूप से बीड और अमरावती की बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों की समस्याओं की गहराई से जानकारी एकत्र की जा रही है।

उन्होंने कहा, हमारी कोशिश होगी कि केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए और इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित रणनीति बनाई जाए। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वह इस मामले पर ठोस नीति तैयार करे और आवश्यक कदम उठाए। बीड जिले की स्थिति पर बोले शरद पवार बीड जिले की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए शरद पवार ने कहा कि वह जिले के हालात से पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वह पहले कभी नहीं देखी गईं।

उन्होंने कहा, बीड हमेशा से एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण क्षेत्र रहा है। जब मैं स्वयं इस जिले की देखरेख कर रहा था, तो यहां से एक ही पार्टी के छह-छह प्रतिनिधि चुने जाते थे, और इलाके में एक सकारात्मक और समरसता भरा माहौल था। लेकिन दुर्भाग्यवश, हाल के दिनों में कुछ लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे स्थिति बिगड़ती जा रही है।

सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग शरद पवार ने सरकार से मांग की कि इस मामले को राजनीतिक जुड़ाव से अलग रखकर देखा जाए, और जो भी कानून हाथ में लेता है या क्षेत्र की शांति भंग करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व इस स्थिति का गलत फायदा उठा रहे हैं और सरकार को चाहिए कि ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग कर जनता के बीच धार्मिक या जातीय विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार को उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि राज्य में शांति और सौहार्द बना रहे।

जन्म प्रमाणपत्र जारी करने पर लगी रोक हटी, आज से मिलेगा प्रमाणपत्र-जे.डी. शाह

बीड, १५ मार्च (प्रतिनिधि) - महाराष्ट्र सरकार ने जन्म प्रमाणपत्र जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। अब से तहसील कार्यालयों में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों का वितरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने नए कड़े नियम लागू किए हैं, जिससे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मिलने वाले फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाई जा सके।

सामाजिक कार्यकर्ता जे.डी. शाह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बीड जिले के सभी नागरिकों को जल्द से जल्द अपने और अपने परिवार के जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने चाहिए। अन्यथा, आने वाले समय में भारतीय नागरिकता से वंचित होने की स्थिति भी आ सकती है।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर सरकार की सख्ती

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मामला चर्चाओं में रहा है। मुंबई, मालेगांव समेत कई जगहों पर पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ अवैध रूप से रह रही महिलाओं को 'लाडकी बहन योजना' का लाभ भी मिला था।

इन्हीं घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब, नए नियम लागू कर यह प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है, लेकिन अब प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सख्त जांच की जाएगी। नए नियम और कड़ी कार्रवाई

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए अब सबूतों की अनिवार्यता होगी।

गलत या फर्जी जानकारी देने पर सीधे फौजदारी कार्रवाई की जाएगी।

एक साल से अधिक पुरानी जन्म-मृत्यु की प्रविष्टियों की अलग प्रक्रिया होगी।

जन्म स्थान की जांच के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

ग्रामसेवक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी और जिलाधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यप्रणाली का पालन करना होगा।

नगरपालिका और ग्राम विकास अधिकारियों को कारण सहित अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।

अब पुलिस द्वारा जांच के बाद ही जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

भारतीय नागरिकता के लिए आवश्यक दस्तावेज

जे.डी. शाह ने कहा कि बीड जिले के सभी नागरिकों को अपने और अपने परिवार के जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। यह प्रमाणपत्र भविष्य में सरकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार और नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु एक वर्ष से अधिक पुराना है और वह इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो ऐसे मामलों में सीधे फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, १९७९ और महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम, २००० के तहत सरकार ने सख्त प्रावधान लागू किए हैं। इसलिए, राज्य के सभी नागरिकों को जल्द से जल्द अपने आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लेने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी कार्य या नागरिकता संबंधी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्राची यादीः

जन्म घटनेच्या बाबतीत जोडावयाची कागदपत्रे	मृत्यू घटनेच्या बाबतीत जोडावयाची कागदपत्रे
१. जन्माच्या अनुषंगाने पुरावे	१. मृत्यूच्या अनुषंगाने पुरावे
जन्म घरी झालेला असल्यास अंगणवाडी सेविका व तत्सम अन्य कर्मचारी यांचे जवाब/ प्रतिज्ञापत्र	शवविच्छेदन अहवाल
लसीकरण कागदपत्रे	प्रथम खबरी अहवाल
रुग्णालयीन नोंदीचे कागदपत्र, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र	रुग्णालयीन नोंदीचे कागदपत्र, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र
२. शैक्षणिक पुरावे	२. शैक्षणिक पुरावे
शाळा प्रवेश निर्गम उतारा/ बोनाफाईड प्रमाणपत्र/ शाळा सोडल्याचा दाखला (असल्यास)	शाळा प्रवेश निर्गम उतारा/ बोनाफाईड प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला
३. कौटुंबिक पुरावे	३. कौटुंबिक पुरावे
आई-वडील, रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिका	आई-वडील, रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका
अन्य शासकीय अभिलेखे	अन्य शासकीय अभिलेखे
४. रहिवासाचे पुरावे	४. रहिवासाचे पुरावे
कर पावती, वीज पावती	कर पावती, वीज पावती
५. मालमत्तेचे पुरावे	५. मालमत्तेचे पुरावे
जमीन उतारा, खरेदीखत	जमीन उतारा, खरेदीखत
६. ओळखीबाबतचे पुरावे	ओळखीबाबतचे पुरावे
आधार कार्ड, पॅन कार्ड	आधार कार्ड, पॅन कार्ड
अन्य शासकीय ओळखपत्र	अन्य शासकीय ओळखपत्र

बीड का गांजा तस्कर कल्याण में गिरफ्तार

बीड, १५ मार्च (प्रतिनिधि) - कल्याण में पुलिस ने सटीक जाल बिछाकर एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीड का रहने वाला है और उसने बीड से गांजा लाकर कल्याण में बेचने की योजना बनाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह गांजा किसे बेचा जाना था और इस तस्कर का बीड से क्या संबंध है।

पुलिस ने आरोपी के पास से १२ किलो ४३६ ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी का नाम शकील शेख बताया जा रहा है, जो बीड का निवासी है और वहां खेती का काम करता है। कल्याण के सहायक पुलिस आयुक्त की टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी पुलिस हवलदार प्रल्हाद चौधरी को बाजारपेठ थाना क्षेत्र के रेतीबंदर इलाके में एक व्यक्ति के गांजा बेचने के लिए आने की सूचना मिली।

इसके बाद पुलिस निरीक्षक बाळासाहेब दुकळे, पुलिस अधिकारी प्रशांत आंधळे और बाजारपेठ थाना पुलिस टीम ने वहां निगरानी शुरू कर दी। पुलिस को आरोपी शकील शेख वहां संदिग्ध रूप से घूमता हुआ नजर आया। तलाशी के दौरान उसके पास से १२ किलो ४३६ ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बीड से गांजा लेकर आया था।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी का बीड के अन्य तस्करों से कोई संबंध है या नहीं और गांजा किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

परमेश्वर सातपुते को झटका, उल्हास गिराम बने शिवसेना जिला प्रमुख

बीड, १५ मार्च (प्रतिनिधि) - बीड जिले में शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) ने बड़ा फेरबदल करते हुए परमेश्वर सातपुते को हटाकर उल्हास गिराम को जिला प्रमुख नियुक्त किया है। सातपुते को दादा खिंडकर की गिरफ्तारी के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनंजय देशमुख परिवार और स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने के चलते यह पद गंवाना पड़ा।

सातपुते के आरोपों से मचा था विवाद

परमेश्वर सातपुते को करीब डेढ़ से दो साल पहले शिवसेना (उबाठा) का जिला प्रमुख बनाया गया था। इससे पहले वे संगठन में सक्रिय थे और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन दादा खिंडकर की गिरफ्तारी के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धनंजय देशमुख परिवार और जिले के कुछ स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाए, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

उल्हास गिराम की नियुक्ति का स्वागत इस विवाद के बाद शिवसेना (उबाठा) ने शनिवार को सातपुते की जगह उल्हास गिराम को जिला प्रमुख बनाने का निर्णय लिया। गिराम की पहचान एक समर्पित और निष्ठावान शिवसैनिक के रूप में है, इसलिए उनकी नियुक्ति का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है।

शिवसेना (उबाठा) के इस निर्णय से स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी संगठन में अनुशासनहीनता और अनावश्यक विवादों को लेकर सख्त रवैया अपना रही है।

हलाल मांस : एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण

निःसंदेह, अल्लाह ने तुम पर जो चीजें हराम (वर्जित) की हैं, वे हैं - मृत जानवर का मांस, खून, सूअर का मांस और वह मांस जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो।

(कुरआन २:१७३)

इस आयत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि तुम सच्चे आस्थावान हो, तो केवल शुद्ध चीजों को ही अपने आहार में शामिल करो। जो चीजें निषिद्ध (हराम) हैं, उन्हें मत खाओ।

वैज्ञानिक दृष्टि से हलाल मांस क्यों शुद्ध माना जाता है?

१. हिंसक पशु और मृत पशु निषिद्ध क्यों हैं?

इस्लाम में नुकीले दांतों वाले और हिंसक जानवरों का मांस खाने की मनाही है।स्वाभाविक रूप से मरे हुए या दुर्घटनाग्रस्त पशु भी निषिद्ध माने गए हैं, क्योंकि ऐसे पशुओं का खून उनके शरीर में ही जम जाता है और बाहर नहीं निकल पाता।

२. हलाल प्रक्रिया में खून निकालना क्यों आवश्यक है? हलाल प्रक्रिया में गले की मुख्य नस को अल्लाह का नाम लेकर काटा जाता है, जिससे पूरे शरीर से खून बाहर निकल जाता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि रक्त में मौजूद यूरिक एसिड इंसानों के लिए हानिकारक होता है। जब जानवर को हलाल तरीके से काटा जाता है, तो उसका खून पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और यूरिक एसिड भी शरीर से बाहर हो जाता है। ३. रक्त के शरीर में रहने से नुकसान यदि किसी पशु को हलाल तरीके से नहीं काटा जाता, तो उसका

निमित्त

अर्शद शेख

ऑर्कीटेक इंजिनिअर

खून शरीर के अंदर ही जम जाता है। रक्त में मौजूद हानिकारक तत्व बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो मांस को दूषित कर सकते हैं। हलाल प्रक्रिया में पशु के प्रमुख अंग (मस्तिष्क, हृदय और यकृत) को क्षति नहीं पहुँचती, जिससे रक्त धीरे-धीरे बाहर निकलता है और मांस शुद्ध रहता है। सूअर का मांस वैज्ञानिक रूप से हानिकारक क्यों है? कुरआन में सूअर के मांस को हराम ठहराया गया है। पुराने समय में इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण ज्ञात नहीं थे, लेकिन अब विज्ञान ने इसे सिद्ध कर दिया है। १. सूअर का यूरिक एसिड क्यों खतरनाक है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सूअर के शरीर की संरचना ऐसी होती है कि उसमें ९८% यूरिक एसिड शरीर में ही जमा रहता है और सिर्फ २% बाहर निकलता है। मनुष्यों में यह प्रक्रिया इसके विपरीत होती है - ९८% यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलता है और केवल २% अंदर रहता है। २. संधिवात (गठिया) रोग का बढ़ता खतरा सूअर मुख्य रूप से गठिया (-rthritis) जैसी बीमारियों से ग्रस्त रहता है। इसका मांस खाने से इंसानों में गठिया और जोड़ों के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ सकती है। ३. सूअर के मांस में हानिकारक तत्व वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला है कि सूअर का मांस हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवियों (Parasites) से भरा होता है। इसमें ट्राइकिनेला स्पाइरलिस (Trichinella Spiralis) नामक कीड़ा पाया जाता है, जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। सूअर गंदगी में रहता है और विषाक्त पदार्थ जल्दी सोखता है, जिससे उसका मांस दूषित हो जाता है।

निष्कर्षः इस्लाम में हलाल मांस को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। रक्त शरीर में रहने से विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं, इसलिए हलाल पद्धति से खून निकालना आवश्यक है। सूअर का मांस मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें विषाक्त पदार्थ, बैक्टीरिया और यूरिक एसिड की मात्रा अत्यधिक होती है। आज का विज्ञान इस्लाम के इन सिद्धांतों की पुष्टि करता है।

संदर्भ ग्रंथ: इस्लाम: द अल्टीमेट आर्ट ऑफ लिविंग

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचा रही है-हरशवर्धन सपकाल

फडणवीस सरकार में हर मंत्री अपने आप में अनोखा, सरकार तानाशाही के रास्ते पर

सिंधुदुर्ग/मुंबई, १५ मार्च (प्रतिनिधि) - महाराष्ट्र में कानून का राज खत्म हो चुका है, सत्ताधारी दल के लोग जनता में भय पैदा कर रहे हैं और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को कुचल रहे हैं। जाति और धर्म के बीच सद्भावना को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है। आज राज्य की एकता और विविधता खतरे में है। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं, जबकि उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री विवादास्पद छवि के हैं। उनकी नीतियों से महाराष्ट्र की सामाजिक समरसता, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बीजेपी सरकार की नीतियों ने राज्य में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दिया है, ऐसा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरशवर्धन सपकाल ने लगाया है।

सिंधुदुर्ग में मीडिया से बातचीत

सिंधुदुर्ग में मीडिया से बातचीत के दौरान हरशवर्धन सपकाल ने कहा कि कोकण की धरती प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। यह वही क्षेत्र है जहां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता वी. एस. खांडेकर का जन्म हुआ, जहां मंगेश पाडगांवकर ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया, और जहां मधु दंडवटे व नाथ पाई जैसे महान नेता पैदा हुए, जिन्होंने लोकतंत्र, संस्कृति और शिष्टता की मिसाल पेश की। लेकिन आज इसी धरती पर कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं।

बीजेपी के मंत्री और विधायक कर रहे हैं लोकतंत्र का अपमान

हरशवर्धन सपकाल ने कहा कि बीजेपी के मंत्री और विधायक खुलेआम अलोकतांत्रिक व्यवहार अपना रहे हैं।

एक मंत्री कहता है हम करें तो कानून, वहीं एक विधायक पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। जनप्रतिनिधि खुद कानून तोड़ रहे हैं और सरकारी निधियों का मनमाने ढंग से उपयोग कर रहे हैं। जो उनके साथ नहीं, उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब महाराष्ट्र के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की एक गहरी साजिश है। नारायण राणे पर साधा निशाना

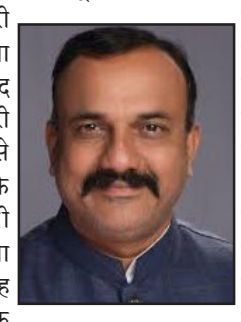

हरशवर्धन सपकाल ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर भी निशाना साधा और कहा कि राणे सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस में आए थे। उन्होंने १२ साल कांग्रेस में बिताए, ९ साल सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन सत्ता जाते ही बीजेपी की शरण में चले गए। हालांकि, उनके जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंधुदुर्ग में कांग्रेस आज भी मजबूत है। आने वाले दिनों में कांग्रेस फिर से इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील

हरशवर्धन सपकाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का आह्वान करते हुए कहा कि इस जिले के प्रभारी मंत्री समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं और संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं को जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और जनसामान्य की समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को फिल्म 'पुष्पा' के मशहूर संवाद झुकेगा नहीं साला की याद दिलाते हुए कहा कि इसी जोश के साथ कांग्रेस को हर गांव, हर वार्ड और हर तहसील में मजबूत करना है। बीजेपी पर ऐतिहासिक तथ्यों को मिटाने का आरोप हरशवर्धन सपकाल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के २०० साल बाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनकी समाधि (मकबरा) की खोज की थी। बीजेपी जैसी विचारधारा रखने वालों ने उस दौरान शिवाजी महाराज के इतिहास को दबाने का प्रयास किया था। आज भी वे उनके गौरवशाली इतिहास को मिटाने में लगे हुए हैं। बीजेपी की कट्टर सोच को रोकना जरूरी है, वरना महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक मूल्यों और सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो जाएगा। बैठक में कई कांग्रेस नेता रहे मौजूद इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष (संगठन व प्रशासन) एडवोकेट गणेश पाटिल, महासचिव आबा डालवे, जिला प्रभारी अजनिक्य देसाई, सिंधुदुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इरशाद शेख और महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी वंजारे सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हरशवर्धन सपकाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने, महाराष्ट्र की गंगा-जमुनी तहजीब को बचाने और बीजेपी सरकार के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करने का आह्वान किया।

सुरक्षा विधेयक नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला-सुप्रिया सुले

मुंबई, १५ मार्च (जमीर काजी) - महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून' नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला विधेयक है। इस विधेयक के माध्यम से साधारण जनता की सरकार के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, ऐसी कड़ी आलोचना शरद पवार गुट की कार्याध्यक्ष एवं सांसद सुप्रिया सुले ने की है।

'बेकायदा कृत्य' की परिभाषा से असीमित अधिकार

इस विधेयक में 'बेकायदा कृत्य' की परिभाषा अस्पष्ट रखते हुए शासकीय यंत्रणाओं को असीमित अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया (द) पर लिखा कि इस कानून से सरकार को 'पुलिस राज' स्थापित करने का लाइसेंस मिलेगा। इस कानून का इस्तेमाल उन व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं के खिलाफ किया जा सकता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की आलोचना करते हैं। 'हम भारत के लोग' की संकल्पना पर आघात

उन्होंने लिखा, लोकतंत्र में विरोधी विचारों का सम्मान किया जाता है, लेकिन यह विधेयक सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास है। सरकार को प्रशासनिक तौर पर असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को प्रतिशोध की भावना से जेल में डाला जा सकता है। सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन या रैली निकालना भी 'अवैध' माना जा सकता है। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। यह विधेयक वैचारिक विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि इस विधेयक से सरकार को कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी मिल जाएगा, जिससे न्यायपालिका की स्वायत्तता पर सीधा हमला होगा। उन्होंने इस कानून की तुलना ब्रिटिश शासनकाल के 'रॉलेट एक्ट' से की, जिसका उद्देश्य भी जनता की आवाज को दबाना था।

संविधान विरोधी विधेयक - पुनर्विचार की मांग

उन्होंने कहा, यह विधेयक संविधान के मूल सिद्धांतों को नकारने वाला है और हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार से इस विधेयक के मसौदे की पुन: समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि यह संविधान के मूल्यों का हनन न करे।

शिक्षक की आत्महत्या: १८ साल बिना वेतन काम करने के बाद उठाया कदम

विक्रम मुंडे और विजयकांत मुंडे पर शोषण का आरोप

बीड, १५ मार्च (प्रतिनिधि) - महाराष्ट्र के बीड जिले में एक शिक्षक ने राजनीतिक प्रभाव रखने वाले विक्रम मुंडे और विजयकांत मुंडे पर शोषण और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। मृतक शिक्षक का नाम धनंजय नागरगोजे बताया जा रहा है, जिन्होंने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपनी पीड़ा साझा की।

धनंजय नागरगोजे ने लिखा कि वे पिछले १८ वर्षों से बिना वेतन के विक्रम मुंडे और विजयकांत मुंडे की शिक्षण संस्था के आश्रमशाला में काम कर रहे थे। लेकिन लगातार शोषण, अपमान और वेतन न मिलने की वजह से वे मानसिक रूप से टूट चुके थे। आखिरकार, इस उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने शनिवार सुबह कृष्णा बैंक के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। १८ साल मुफ्त काम कराया, फिर भी नहीं छोड़ा परेशान करना

फेसबुक पोस्ट में धनंजय नागरगोजे ने लिखा कि विक्रम मुंडे, विजयकांत मुंडे, अतुल मुंडे और उनके समर्थकों ने लगातार उन्हें परेशान किया और वेतन न देने के बावजूद उनसे काम कराते रहे। उन्होंने लिखा कि इस अपमानजनक स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उन्होंने यह कठोर कदम उठाने का फैसला किया।

शैक्षणिक क्षेत्र में हड़कंप, पुलिस जांच जारी

इस घटना से पूरे शैक्षणिक क्षेत्र में सदमे और आक्रोश की लहर फैल गई है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने मुंडे परिवार की 'फ्री में काम करवाने' की मानसिकता की कड़ी आलोचना की है। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। हालांकि, शिक्षक संघों और स्थानीय नागरिकों ने इस मामले की गहराई से जांच करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का छापा

मजलगांव, १५ मार्च (प्रतिनिधि) - मजलगांव शहर में अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही थी, इस गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बायपास रोड स्थित दो होटलों पर छापा मारा। इस दौरान ८,६४० रुपये की देसी-विदेशी शराब जब्त की गई, और होटल मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

धुलीवंदन के दौरान हुई कार्रवाई

पिछले कुछ दिनों से मजलगांव तालुका में अवैध धंधे बढ़ रहे हैं। इसी के चलते मजलगांव शहर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। १४ मार्च को धुलीवंदन के अवसर पर गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर मजलगांव बायपास रोड स्थित अक्षरा होटल पर छापा मारा गया। वहां से ९७० रुपये की देसी-विदेशी शराब बरामद हुई। इसके अलावा, मजलगांव से गढ़ी जाने वाले मार्ग पर स्थित शिवशाही होटल पर भी छापा मारा गया, जहां से ७,६७० रुपये की शराब जब्त की गई।

होटल मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज

अक्षरा होटल के मालिक प्रदीप मधुकर सालवे और शिवशाही होटल के मालिक गोपीनाथ अच्युतराव शिंदे के खिलाफ महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस टीम ने की कार्रवाई

इस छापेमारी को पुलिस अधीक्षक नवनित कॉवत, अप्पर पुलिस अधीक्षक चेतना तिडके (अंबाजोगाई), उपविभागीय पुलिस अधिकारी नीरज राजगुरु (गेवराई), पुलिस निरीक्षक राहुल सूर्यतळ, उपनिरीक्षक सतीश दिंडे, पोहेकॉ संदीप मोरे, पुलिस अमलदार अमोल कदम और शिवगणेश मिरकले ने अंजाम दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बिक्री के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैंक घोटाले में फरार आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

मुंबई, १५ मार्च (विशेष प्रतिनिधि) - न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के करोड़ों रुपये के घोटाले में फरार आरोपी कपिल देढिया को गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (एजथ) की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए उसे शनिवार को मुंबई लाकर १९ मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

घोटाले में सैकड़ों करोड़ों की हेराफेरी पिछले महीने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ था। रिजर्व बैंक ने बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की गहन जांच कर रही है। जांच में सामने आया कि कपिल देढिया के खाते में १२ करोड़ रुपये जमा हुए थे। इस रकम का एक हिस्सा धर्मेश रियल्टी के बिल्डर धर्मेश पौण से प्राप्त हुआ था। दूसरा हिस्सा घोटाले में वॉन्टेड आरोपी अरुणाचलम ने ट्रांसफर किया था। इसके अलावा, हितेश मेहता से भी कपिल देढिया को फंड मिलने का आरोप है। गुजरात के होटल से गिरफ्तार एजथ को जानकारी मिली थी कि कपिल देढिया वडोदरा के एक होटल में छिपा हुआ है। इसके बाद एक विशेष टीम ने वहां जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को उसे मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से १९ मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आगे की जांच जारी पुलिस अब इस घोटाले से जुड़े पूरे फंड फ्लो का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इस मामले में और भी कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

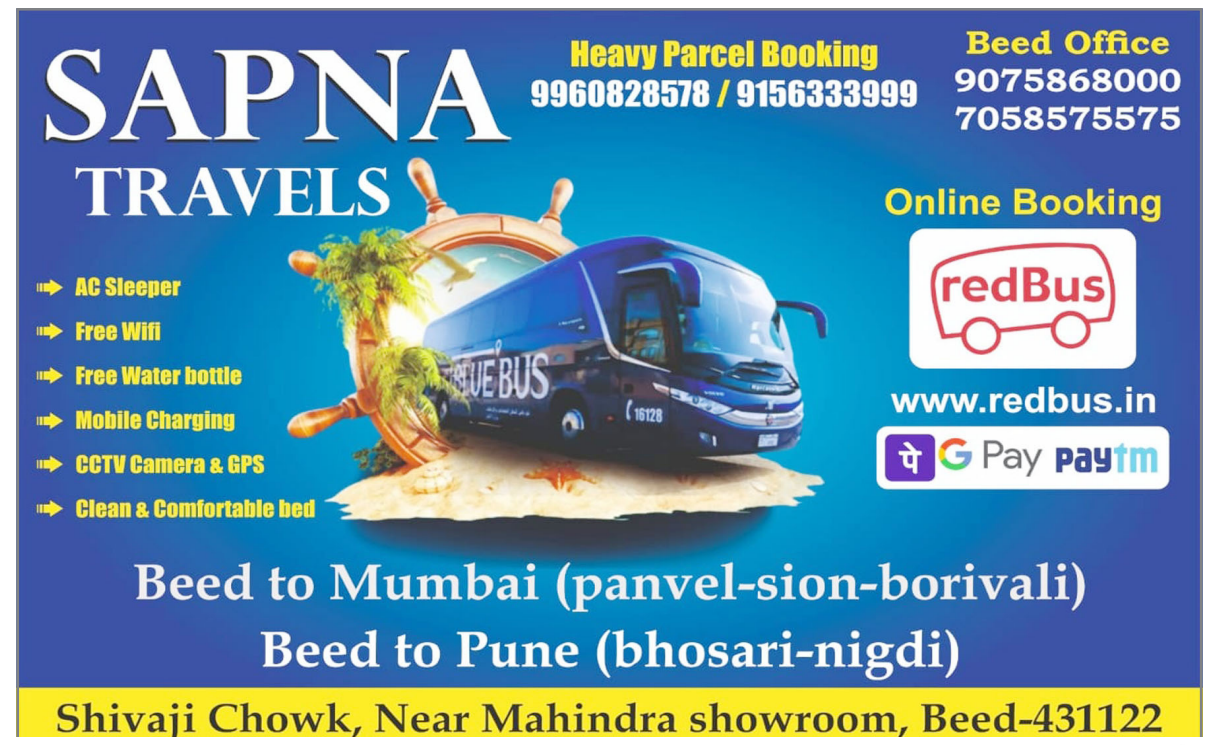

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com